सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2025/723 दर्ज तिथिः— 07.10.2025

1. अर्जुनसिंह पुत्र रणजीतसिंह
2. उकसिंह पुत्र जोगा
3. करणसिंह पुत्र रणजीतसिंह
4. किशोरसिंह पुत्र गिरधारीसिंह
5. गोदा कंवर पत्नी हरीसिंह
6. पूनमसिंह पुत्र रणजीतसिंह
7. प्रवीणसिंह पुत्र हरीसिंह
8. पांचुसिंह पुत्र रणजीतसिंह
9. भरतसिंह पुत्र हरीसिंह
10. भैरसिंह पुत्र गिरधारीसिंह
11. मदनसिंह पुत्र गिरधारीसिंह
12. मोड़सिंह पुत्र गिरधारीसिंह
13. मोहनसिंह पुत्र जोगा
14. राजुसिंह पुत्र रणजीतसिंह
15. लखसिंह पुत्र गिरधारीसिंह
16. लेहरा पत्नी गिरधारीसिंह
17. हीरा पुत्र भोमा
    जाति राजपुत निवासी बारासण तहसील गुड़ामालानी
18. टीपूदेवी पत्नी रणजीतसिंह फौत के कायम मुकाम (प्रार्थी संख्या 1, 3, 6, 8, 14)
19. रखु पत्नी जोगा फौत के कायम मुकाम (प्रार्थी संख्या 2, 5, 7, 9, 13)

...........प्रार्थीगण

बनाम

1. करनाराम पुत्र तगाराम
2. कलाराम पुत्र हुकमाराम
3. कुसआराम पुत्र भीमाराम
4. चुनाराम पुत्र आसूराम
5. जैतीदेवी पत्नी केवाराम
6. तारी पत्नी दानाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:53:44 IST
Reason: SelfAttested

7. दलाराम पुत्र केवाराम
8. नरसीराम पुत्र हुकमाराम
9. बादराराम पुत्र हुकमाराम
10. भूरीदेवी पत्नी आसूराम
11. मेघाराम पुत्र भीमाराम
12. मेहराराम पुत्र भीमाराम
13. राणाराम पुत्र केवाराम
14. लूंगादेवी पत्नी भीमाराम
15. वेहनाराम पुत्र हुकमाराम
16. वालाराम पुत्र मानाराम
17. शंकराराम पुत्र तगाराम
18. सांवलाराम पुत्र आसूराम

जाति मेगवाल निवासी बारासण तहसील गुड़ामालानी

19. कलाराम पुत्र मोटाराम
20. भानाराम पुत्र मोटाराम
21. मेहरा पुत्र मोटा फौत के कायम मुकाम

21/1 भारताराम पुत्र मेहरा

21/2 कृष्ण पुत्र मेहरा

22. शेराराम दत्तक पुत्र उदराम जाति मेघवाल निवासी भीलो की ढाणी बारासण
23. आम्बाराम पुत्र कोजाराम
24. बाबू पुत्र कोजाराम
25. मेहरा पुत्र कोजा
26. माला पुत्र फगलू
27. हीरा पुत्र कोजा
28. ओखाराम पुत्र गेनाराम
29. कानाराम पुत्र हेमाराम
30. गीगाराम पुत्र हेमाराम
31. तगाराम पुत्र हेमाराम
32. तुलसाराम पुत्र गेनाराम
33. देसू पुत्री पुनमाराम
34. पताराम पुत्र गेनाराम
35. भभूताराम पुत्र साजनराम
36. भानाराम पुत्र हेमाराम
37. भीखा पुत्र मेहाशा
38. रूपाराम पुत्र गेनाराम
39. सांवलाराम पुत्र पूनमाराम
40. हीराराम पुत्र हेमाराम

जाति रबारी निवासी बारासण तहसील गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:53:44 IST
Reason: SelfAttested

41. अनोपा पुत्र भूपाराम
42. इन्द्रा पत्नी नरसीराम
43. कानाम पुत्र जुगता
44. कोहला पुत्र भूपा
45. खेता पुत्र तगा
46. गुणेशा पुत्र भूपा
47. देराजराम पुत्र चेलाराम
48. देवाराम पुत्र चेलाराम
49. दानाराम पुत्र नरसीराम
50. पूरा पत्नी कोजा
51. पोकर पुत्र जुगता
52. राकू पत्नी तगा
53. राधा पत्नी भूपा
54. लुम्बा पुत्र कोजा
55. वसी पत्नी भूपा
56. शांति पुत्री चेलाराम
57. सुरज पत्नी चेलाराम
58. सागर पत्नी लूंभाराम
59. सिका पुत्र चेलाराम
    जाति भील निवासी भीलो की ढाणी, बारासण तहसील गुड़ामालानी
60. दरियादेवी पत्नी गोदाराम
61. रेखीदेवी पत्नी कानाराम
62. लक्ष्मी पत्नी होतीराम
63. विजुदेवी पत्नी वेलाराम जाति भील निवासी नया मेरसीम तहसील बागोड़ा जिला जालोर
    जाति जाट निवासी बारासणतहसील गुड़ामालानी

...........असल अप्रार्थीगण

64. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

................तकमीली अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री डालूराम चौधरी
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः– 19.01.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:53:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 508 / 30.6589 है0 मौजा बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुड़ामालानी के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश दिनांक 27.05.2025 की पालना में दिनांक 05.06.2025 को पटवारी हल्का बारासण द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 508 / 30.6589 है0 मौजा बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर की पत्थरगढ़ी दिनांक 05.06.2025 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण विधिवत तामिल बावजूद अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 05.06.2025 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:53:44 IST
Reason: SelfAttested

party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072–75 वाकै ग्राम बारासण में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम बारासण के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 05. 06.2025 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 508/30.6589 है0 मौजा बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:53:44 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 19.01.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:53:44 IST
Reason: SelfAttested